



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2258]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2015/आश्विन 23, 1937

No.2258]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2015 /ASVINA 23, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2015

**का.आ. 2835(अ).**—यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के सिपकांट औद्योगिक विकास केन्द्र बरगुर, उथनगरई एवं पोचामपल्ली तालुक, कृष्णागिरी जिला में ग्रेनाइट संसाधन उद्योगक सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 595(अ) दिनांक 15 मार्च, 2010 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 153.83.0 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 58.29.0 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके दिनांक 15 जुलाई, 2015 के पत्र सं. 5387/एम.आई.बी.1/2015-1 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 58.29.0 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 58.29.0 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 95.54.0 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

**तालिका**

क्रम संख्या	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	अनधिसूचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	पोचामपल्ली तालुक में बालेथोट्टम गाँव	641 पार्ट	0.00.5
2		642 पार्ट	0.01.0
3		643 पार्ट	1.84.5
4		726 पार्ट	6.26.5
5	उथनगरई, तालुक में ओलायपट्टी गाँव	1 पार्ट	0.35.5
6		2 पार्ट	2.78.0
7		3 पार्ट	2.31.0
8		4 पार्ट	1.98.0
9		7 पार्ट	1.56.5
10		21 पार्ट	1.99.0
11		22	2.97.0
12		23 पार्ट	0.34.0
13		25 पार्ट	3.62.0
14		26	3.95.0
15		27 पार्ट	2.83.0
16		28 पार्ट	3.15.0
17		29 पार्ट	2.45.5
18		30	2.39.0
19		31 पार्ट	5.04.0
20		32 पार्ट	1.58.0
21		33 पार्ट	3.27.0
22		49 पार्ट	0.52.0
23		50 पार्ट	0.32.0

24		59 पार्ट	3.61.0
25		60 पार्ट	3.14.0
<b>कुल</b>			<b>58.29.0 हेक्टेयर</b>
<b>उपर्युक्त अनधिसूचना के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल</b>			<b>95.54.0 हेक्टेयर</b>

[फा. सं. एफ.1/44/2009-एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****( Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2015

**S.O. 2835(E).**—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for granite processing industries sector in SIPCOT Industrial Growth Centre, Bargur, Uthangarai and Pochampalli Taluk, Krishnagiri District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 153.83.0 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Numbers S.O. 595 (E) dated 15<sup>th</sup> March, 2010;

And, whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu has now proposed for de-notification of 58.29.0 hectares at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Tamil Nadu has given its “No Objection” to the proposal vide letter No. 5387/MIB.1/2015-1, dated 15<sup>th</sup> July, 2015;

And, whereas, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 58.29.0 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 58.29.0 hectares**, thereby making resultant area as **95.54.0 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

**TABLE**

S.No.	Name of the Village	Survey No.	Area to de-notified (in Hectares)
1	Balethottam village of Pochampalli Taluk	641 Part	0.00.5
2		642 Part	0.01.0
3		643 Part	1.84.5
4		726 Part	6.26.5
5	Olaipatti village of Uthangarai Taluk	1 Part	0.35.5
6		2 Part	2.78.0
7		3 Part	2.31.0
8		4 Part	1.98.0

9		7 part	1.56.5
10		21 Part	1.99.0
11		22	2.97.0
12		23 Part	0.34.0
13		25 Part	3.62.0
14		26	3.95.0
15		27 Part	2.83.0
16		28 Part	3.15.0
17		29 Part	2.45.5
18		30	2.39.0
19		31 Part	5.04.0
20		32 Part	1.58.0
21		33 Part	3.27.0
22		49 Part	0.52.0
23		50 Part	0.32.0
24		59 Part	3.61.0
25		60 Part	3.14.0
<b>Total</b>			<b>58.29.0 hectares</b>
<b>Total Area of SEZ after above deletion</b>			<b>95.54.0 hectares</b>

[F. No. F.1/44/2009-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.